MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (101)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/S-N/विविध–I/2017–18 दिनांक 27 अगस्त, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अनुमत प्रदर्शन के लिए प्रोटोटाईप आवासों के निर्माण के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 15.03.16 एवं 23.06.16, 08.05.18 एवं 04.06.2018।

महोदय,

"सभी को आश्रय 2022 तक" के कृतसंकल्प के साथ संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अध्याय 6 के बिन्दु संख्या 6.2.2 में निवास क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवासों के डिजाइनों के विकल्प के नक्शे, लागत अनुमान आदि लाभार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जिससे योजनान्तर्गत निर्मित आवास टिकाउ, उपयोयी, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों (बाढ, भूकम्प, चक्रवात आदि) को सहन करने में सक्षम एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल हो।

उक्त के मध्यनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से राज्य को 4 Zone में विभक्त कर 7 प्रोटोटाइप मॉडल नक्शे विकसित कराये गये है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से राज्य के लिए विकसित प्रोटोटाइप मॉडल नक्शें जो कि लाभार्थियो हेतु जारी मार्गदर्शिका में उपलब्ध कराये गये है। उक्त संबंध में योजनान्तर्गत क्रियान्वयन फेर्मवर्क के बिन्दु संख्या 6.2.2 की पालना में उक्तानुसार विकसित नक्शों के साथ–साथ आवास निर्माण में तकनीकी सहयोग हेतु NIRD हैदराबाद में विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण भी आयोजित करवाया गया। इसी कम में वास्तविक आवास को देखकर लाभार्थियों को प्रेरित करने हेतु संदर्भित पत्रों एवं विभागीय समीक्षा बैठकों में योजना के प्रशासनिक मद से जिलों में प्रोटोटाइप आवास निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रोटोटाइप निर्माण की समीक्षा में ध्यान में आया है कि कुछ जिलो को छोडकर अधिकांश जिलों द्वारा प्रोटोटाइप आवास का निर्माण अभी अपेक्षित है।

राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत 16.99 लाख लाभार्थियों की स्थायी वरीयता सूची तैयार की गई है जिनमें से वर्ष 2018–19 तक 6.87 लाख आवास स्वीकृति के लक्ष्यो के विरूद्ध लगभग 4 लाख आवास पूर्ण हो चुके है। इसी कम में योजनान्तर्गत स्थायी वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल किये जाने के क्रम में 14.62 लाख वंचित पात्र परिवार भी जिलों द्वारा चिन्हित कर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। जिसके मध्यनजर वर्ष 2022 तक राज्य में काफी संख्या में आवास स्वीकृत किये जाना संभावित है।

अतः संदर्भित पत्रो द्वारा जारी निर्देशों के कम में पुनः लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से राज्य के लिए विकसित प्रोटोटाइप मॉडल नक्शें में से क्षेत्र हेतु उपयुक्त मॉडल नक्शें के अनुसार योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद की राशि से योजना के क्रियान्वयन फेर्मवर्क के बिन्दु संख्या 6.2.2 की पालना में लाभार्थियो को प्रदर्शन हेतु प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र स्तर (यथासंभव कार्यालय परिसर मे) एक प्रोटोटाइप आवास का निर्माण माह सितम्बर 2018 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रोटोटाइप आवास (जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
1	BANSWARA	51	22	29
2	BARAN	17	3	14
3	DUNGARPUR	50	9	41
4	PRATAPGARH	25	5	20
5	SIROHI	2	1	1
6	UDAIPUR	84	12	72
	Total	**229**	**52**	177